REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 7 | APRIL - 2019

भारत में बालिकाओं का घटता अनुपात : कारण एवं निदान

डॉ. अमिताप शर्मा
वणिज्य विभाग , शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सिवनी, (म.प्र.)

शोध सारांश:-

शोध के अनुसार बेटे की चाहत और लिंग के आधार पर गर्भपात के कारण भारत देश में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में असंतुलन पैदा हो गया है। जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) मतलब 1000 लड़कों के मुक़ाबले पैदा होने वाले लड़कियों की संख्या लंबे समय से 920 बनी हुई है । लिंग का निर्धारण करने वाली तकनीक अल्ट्रासाउंड के विकसित होने के बाद भारत के पंजाब, दिल्ली और गुजरात में लिंग अनुपात 850 तक पहुंच चुका है जबकि केरल और आंध्र प्रदेश में ये अनुपात 890 है। इसका मतलब है कि पंजाब, दिल्ली और गुजरात में यदि 850 लड़कियों पैदा होती हैं तो 1000 लड़के पैदा होते हैं। भारत में हाल में हुए एक अध्ययन ने ये पता चला है कि यदि पहले ही दो लड़कियों का जन्म हो चुका है तो तीसरे जन्म की स्थिति में लिंग अनुपात और घट जाता है लेकिन यदि पहले शिशु के रूप में लड़का जन्म लेता है तो लिंग अनुपात सामान्य रहता है। अध्ययन में पाया गया है कि अगर पहला या दूसरा बच्चा भी लड़की ही है तो भारत देश में लोग अक्सर लिंग निर्धारण करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि दूसरा या तीसरा बच्चा लड़का ही हो। इस तथ्य से सभी सहमत है कि किसी भी स्वस्थ्य एवं विकसित समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरूष दोनो की बराबर की सहभागिता तो होना परम आवश्यक है कि, साथ ही साथ नैसर्गिक सिद्धांत तथा पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से भी ऐसा अनिवार्य माना जाता है, वैसे भी मानव समाज समुचित और सर्वागीण विकास में महिलाओं का योगदान कभी भी कम नही रहा है परन्तु यह एक बिडम्बना ही रही है कि समाज मे उन्हे बराबरी का दर्जा शायद ही कभी प्राप्त हुआ हो।

मुख्य शब्द–घटता लिगांनुपात, भारत कारण एवं निदान।

प्रस्तावना:-

वर्तमान समय में देंश में महिलाओं की संख्या में पुरूषों की संख्या की तुलना में लगातार कमी आ रही है। देश की जनसंख्या में महिलाओं के घटते अनुपात के साथ यह तथ्य भी विचारणीय है कि भारत में 60 वर्ष से ऊपर के आयु वाले लोगों की कुल संख्या में महिलाओं की संख्या पुरूषों के मुकाबले 10.2% अधिक है। इंग्लैड और अमेरिका में तो 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की संख्या क्रमशः 45 एवं 30 प्रतिशत पुरूषों की तुलना में अधिक पाई जाती है। इस प्रकार के आंकडे यह संकेत करते है कि महिलाओं की औसत आयु पुरूषों की तलना में अधिक होती है। इस संबंध में वर्तमान में किये गये कुछ नवीन शोध परिणामों से इस बात की पुष्टि भी हुई है कि जन्म लेने वाले कु बच्चो मे से बालकों के अनुपात में बालिकाओं की संख्या औसत रूप से अधिक होती है लेकिन भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जन्म के एक वर्ष के अन्दर बालकों की तुलना में बालिकाओं की मौत अधिक संख्या में हेा जाने से स्थिति विपरीत हो जाती है। आंकडे साक्षी है कि

हमारे देश में हर वर्ष पैदा होने वाली 1.30 करोड बालिकाओं में से लगभग एक चौथाई 15 वर्ष की आयु पूर्ण करते–करते विविध कारणो से मर जाती है।

20 वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही देश में यदि स्त्री–पुरूष अनुपात के मूलभूत आंकडो तालिका पर दृष्टि पात करें तो विदित होता है कि यहॉ महिलाओं की संख्या पुरूषों के मुकाबले कम ही रही है।

तालिका–1 भारत में स्त्री पुरूष अनुपात

वर्ष	प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933
2011	940

स्त्रोतः– इंडिया डेवलेपमेंट रिपोर्ट 2011–12

भारत विविधताओं का देश है और यहां महिला पुरूष अनुपात में भी क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है, संसार के कुछ विकसित देशो से यदि स्त्री–पुरूष अनुपात की तुलना करें तो भारत में जहॉ यह अनुपात 933:1000 है वही रूस में महिलाओं की सख्या पुरूषों की तुलना में 145 प्रति हजार अधिक है, इंग्लैण्ड और अमेरिका में भी प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या क्रमशः 1060 और 1059 है।

इस संबंध में यह तथ्य भी विचारणीय है कि जन्म के समय बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या अधिक होने के साथ–साथ पुरूषों की तुलना में महिलाओं की औसत आयु की संभावना भी अधिक होती हैं। भारत में भी 100 बालको की तुलना में 108 बालिकाओं का जन्म होता है लेकिन कुछ विषम आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति वश यह आकडा विपरीत हो जाता है।

बालिकाओं का घटता अनुपात करणः–

भारत में बालिकाओं का घटता अनुपात का कोई एक कारण न हो कर अनेक ऐसे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारण है। जिसकी जडे आपस में उलझी हुई है जो कि क दूसरे को पोषित करती है।

आठवें दशक में चिकित्सा के क्षेत्र में हुये शोध से गर्भ परीक्षणों एवं गर्भपात सुविधाओं के विस्तार के फलस्वरूप बालिका भ्रूण हत्या बालिकाओं के घटते अनुपात का एक कारण माना जाने लगा है। हालांकि प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी अधिनियम 1994 के द्धारा गर्भावस्था में 1 जनवरी 1996 से लिंग परीक्षण कराने वाले अभिभावकों रिश्तेदारो ओर परीक्षण करने वाले डाक्टरों की आर्थिक एवं कारावास तक के दण्ड के प्रावधान किये है लेकिन वास्तविकता यह है कि उक्त अधिनियम में किये गये प्रावधान भ्रूण हत्या की रोकने में पूर्ण कारगर सिद्ध नही हो रहे है।

भारत में बालिकाओं की संख्या का घटता अनुपात होने में सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक कारणों के अन्तर्गत यदि देखा जाये तो समाज में वद्धावस्था का सहारा केवल बेटो की ही माना जाता है इसलिए पुत्र मोह की भावना बलवती होती है एवं मृत्यु उपरांत, मुखाग्नि, पिण्डदान, सामाजिक दायित्व व वंश चलाने के लिये पुत्र की अनिवार्यता आवश्यक समझी जाती है।

आर्थिक कारणों की ओर यदि दृष्टिपात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दहेज रूपी दानव ने भी बालिकाओं की घटती संख्या में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दहेज का प्रचलन धीरे–धीरे समस्त जातियॉ एवं समाजों में बढते जा रहा है। दहेज के कारण बालिकाओं परिवार पर बोझ समझी जाने लगी है। आज बालिकाओ की कमी में यह पक्ष भी बल प्रदान करता है।

पुत्र प्राप्ति की इच्छा पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक पाई जातह है। आज महिला किसी स्थान या शाम को अंधेरे में जाते समय बालिका की अपेक्षा बालक साथ में होने में अपनी सुरक्षा महसूस करती है। इस तरह की मानसिक ग्रंथियॉ भी घटते अनुपात में उत्तरदायी है।

बालिकाओं के लालन–पालन एवं शिक्षा–दीक्षा पर उपेक्षा पूर्ण व्यवहार भी बालिकाओं की घटती संख्या का कारण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बालिकाओ के साथ दुराचार की बढती हुई घटनाओं ने भी परिवार या समाज को भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करने पर बल दिया है।

निदानः–

वर्तमान में भ्रूण हत्या रोकने के संबंध में प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी अधिनियम 1994 लागू होने के बाद भी भ्रूण हत्यायें हो रही है, जो यह प्रदर्शित करती है कि इस अधिनियम का कडाई से पालन नही हो रहा है। अतः इसका कडाई से पालन करते हुए इसका उल्लंघन करने वालों को सख्त सजा दी जाये।

सामाजिक सोच में बदलाव लाकर बेटा बेटी एक समान की धारणा को विकसित करना होगा अर्थात पुत्र मोह की सोच को त्यागना होगा एवं वृद्धावस्था का सहारा बेटा होने की सोच को हटाना होगा।

बालको के समान बालिकाओं की धार्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठानों में सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी।

दहेज को नये सिरे से पारिभाषित करते हुये समस्त प्रकार की भेट स्वरूप प्रदान की जाने वाली सामाग्रियों पर पूर्णतः प्रतिबंध किया जाना चाहिये ताकि दहेज का कोई स्वरूप ही न रहे।समस्त क्षेत्रों में महिलाओ की 50 प्रतिशत सहभागिता सुनिचित की जानी चाहिये।

निष्कर्षः–

यदि हम वास्तव में बालिकाओं की घटती हुई संख्या के प्रति संवेदनशी है तेा अतिशीघ्र ही हमें इन सभी कमियों, आभावों और बुराइयों की गहराई में जाकर इनके निराकरण तलाशने होंगे ओर एक व्यवहारिक समयवद्ध और उपयोगी कार्य योजना का निर्माण कर उस पर अमल करना होगा तभी बालिकाओं के अनुपात में वृद्धि संभव होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः–

- इक्कीसवी सदी का भारत – डॉ. अब्दुल कलाम एवं वाई सुंदर राजन
- भारत का विकास दशा एवं दिश –डॉ. सुभाष गंगवाल
- अर्न्तराष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत –डॉ. बी.एल. फडिया एवं समकालीन राजनीतिक मुददें
- समाजशास्त्र की मूल अवधारणायें – रविन्द्रनाथ मुखर्जी, भरत एवं भारतीय समाज अग्रवाल
- सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक–डॉ. रविन्द्रनाथ मुखर्जी, परिवर्तन तथा सामाजिक व्याधिकी डॉ. भरत अग्रवाल
- प्रतियोगता दर्पण – जून 20017, अक्टूवर 2018
- गृहशोभा – मई जून 2017
- मनोरमा ईयर बुक – 2017
- नवभारत टाइम्स, रोजगार समाचार एवं रोजगार निर्माण आदि।

डॉ. अमिताप शर्मा
वणिज्य विभाग , शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी, (म.प्र.)

LBP PUBLICATION